राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 6490/2022

मनोज कुमार शर्मा **—अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.12.2022
आदेश की दिनांक : 06.01.2023

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस. के. सिंगोदिया एवं रोहित सैनी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धमना, चित्तौडगढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 30.11.2022 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Matuki, भरतपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 600 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है। उसका स्थानान्तरण राजनैतिक प्रभाव में आकर किया गया है, जो अवैध है। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना नहीं की। अपीलार्थी वर्ष 2016 से निरंतर कार्य कर रहा है। उनका कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को अनुचित माना गया है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 30.11.2022 (अनुलग्नक—1) को अपीलार्थी की सीमा तक

अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण नीति एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई नियम विरूद्धता नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धमना, चित्तौडगढ़ में कार्यरत है। चूंकि अपीलार्थी वर्ष 2016 से एक ही स्थान पर कार्यरत है और अब 6 वर्ष बाद स्थानान्तरण किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 600 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक दबाव में आकर किए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रकट हो कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक दबाव में किया गया है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रकट नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)